



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी विकास को हुआ 06 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि वर्ष 2007 में अभियुक्त विकास पुत्र रनवीर निवासी काकड़ा थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना बालैनी पर मु0अ0सं0- 208/2007 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग में मॉनितरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 02.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त विकास को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में 06 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है । बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



@baghpatpolice



Baghpat police



baghpatpolice



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी सोनू को हुआ 05 माह का कारावास व 70 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा आरोपी पवन शर्मा को हुआ 03 माह का कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि वर्ष 2012 में अभियुक्त सोनू पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम मुल्लेडा थाना सरधना जनपद मेरठ के द्वारा लूट की घटना कारित करने व पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दोगट पर मु0अ0सं0- 82/12 धारा 392/411 भादवि, मु0अ0सं0 83/12 धारा 307/34 भादवि, मु0अ0सं0 85/23 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 86/12 धारा 414 भादवि व मु0अ0सं0 37/12 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा वर्ष 2016 में अभियुक्त पवन शर्मा पुत्र मोहन निवासी ग्राम खेडकी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा चरस की तस्करी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 453/16 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत हुआ था । इन अभियोगों में मॉनितरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 02.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-2 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सोनू को दोषी पाते हुए 05 माह के कारावास व 70 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा अभियुक्त पवन शर्मा को दोषी पाते हुए 03 माह के कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है । बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



@baghpatpolice



Baghpat police



baghpatpolice



प्रेस नोट

जनपद बागपत

दिनांक 02.02.2024

बागपत पुलिस ने 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता:-

1-सतेन्द्र पुत्र चन्दू निवासी खट्टा प्रहलादपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-जितेन्द्र पुत्र सोमपाल निवासी मौ०

शताब्दीनगर करुबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

3- विजय पुत्र जयप्रकाश निवासी पट्टी गोपी बावली थाना बडौत जनपद बागपत ।

4-इरफान पुत्र हकीमू निवासी ग्राम मिलाना थाना दोघट जनपद बागपत ।

5-असफाक पुत्र गबरू निवासी ग्राम हरसौली थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-थाना चांदीनगर पुलिस टीम ।

2- थाना बडौत पुलिस टीम ।

3- थाना दोघट पुलिस टीम ।





प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना छपरौली

दिनांक 02.02.2024

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 11 बोतल अवैध अग्रेंजी व 08 अर्धे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 11 बोतल अवैध अग्रेंजी शराब व 08 अर्धे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-संदीप पुत्र ओम सिंह निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-दीपेश कुमार पुत्र नरेशपाल निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 11 बोतल अवैध अग्रेंजी शराब हरियाणा मार्का ।
- 08 अर्धे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह थाना छपरौली ।

2-का. 1028 मुरली थाना छपरौली ।

3-का. 239 मनोज थाना छपरौली ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-02.02.2023

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 32/2023 धारा 504/506 भादवि में
वाँछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा मय
एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.02.2024 को थाना दोघट पर वादी सतीशचन्द पुत्र चमनलाल निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त विकास पुत्र भूषण निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा वादी की पत्नी के साथ गाली-गलौज की गयी व जान से मारने की धमकी दी । जिसके सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 32/2024 धारा 504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-



बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने पर मु0अ0स0 32/2024 धारा 504/506 भादवि में वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा मय एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है।

उपरोक्त बरामदगी के आधार पर थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विकास पुत्र भूषण निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक अवैध जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त विकास का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 180/21 धारा 323/504/506 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0स0 275/21 धारा 380 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0स0 322/21 धारा 379 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 4-मु0अ0स0 336/21 धारा 395/412/458/506 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।
- 5-मु0अ0स0 227/22 धारा 504/506 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।
- 6-मु0अ0स0 82/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत।
- 7-मु0अ0स0 32/24 धारा 504/506 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।
- 8-मु0अ0स0 33/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना दोघट जनपद बागपत
- 2-का0 587 अंकुल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 02.02.2024

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध रिवाल्वर .32 बोर तथा एक गाडी होण्डा सिविक बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध रिवाल्वर .32 बोर तथा एक गाडी होण्डा सिविक नं0 DL3CAY 6728 बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:-बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

संजीव पुत्र सुक्रमपाल निवासी सूर्यनगर बिनौली रोड़ कस्बा बडौत थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध रिवाल्वर .32 बोर ।
- एक गाडी होण्डा सिविक नं0 DL3CAY 6728

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना बडौत ।

2-का0 970 रोहित अत्री थाना बडौत ।

3-का0 1070 नरेश कुमार थाना बडौत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 02.02.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 404/2023 धारा 363/376
भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त जावेद को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 404/23 धारा 363/376



भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त जावेद को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जावेद पुत्र उस्मान निवासी औसिक्का थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आरिफ अब्बास थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-का0 369 विशाल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-का0 421 अंकुल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 02.02.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे 24 पच्चे अवैध देशी शराब महबूबा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार



अभियुक्त के कब्जे से कुल 24 पच्चे अवैध देशी शराब महबूबा तीव्र मसालेदार यूपी मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फारुख पुत्र बाबू निवासी ग्राम पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 24 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री राहत जान थाना चांदीनगर, जनपद बागपत

2- का0 1065 आलोक कुमार थाना चांदीनगर, जनपद बागपत

3-का0 1023 गणेश कुमार थाना चांदीनगर,जनपद बागपत ।